



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4362]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2018/कार्तिक 8, 1940

No. 4362]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2018/KARTIKA 8, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5569 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325 से किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ए [किमी 00.000 से किमी 71.400 [कांडला - मुंद्रा पत्तन] और किमी 183.500 से किमी 362.160 (गांधीधाम से समखियाली से बामनबोर) तक को छोड़कर], सं. 8बी [किमी 000.040 से किमी 185.000 तक (पोरबंदर-राजकोट खंड) को छोड़कर], सं. 8डी [(किमी 00.000 से किमी 127.000 (जैतपुर-सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ई [किमी 7.090 - किमी 473.000 तक को छोड़कर] (भावनगर - तालजा - महुआ - कागावादर - ऊना - कोदीनार - वेरावल - गाडू - पोरबंदर - द्वारका खंड), सं. 59 [(किमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900 (गोधरा-	गुजरात राज्य सरकार”
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक को छोड़कर], सं. 113, सं. 228, नई रारा सं. 68 (समखियाली से राधनपुर खंड को छोड़कर), नई रारा सं.168, नई रारा सं.168ए, नई रारा सं.251, नई रारा सं. 341, नई रारा सं. 351, नई रारा सं. 753बी, नई रारा सं. 754के, नई रारा सं. 848, नई रारा सं. 848ए, नई रारा सं. 848बी, नई रारा सं. 927डी और नई रारा सं. 953 के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[फा.सं. एनएच-14013/3/2015-पीएंडएम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-5215(अ), तारीख 11.10.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2018

S.O. 5569(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

TABLE

(1)	(2)	(3)
“7	So much of National Highways No. 6[excluding from km 29.100 to km 4.740 (Hazira to Surat) and km 7.325 to km 103.149 (Surat to Maharastra/Gujarat Border], No. 8A, (excluding from km. 00.000 to km. 71.400)[Kandla-Mundra port] and from km 183.500 to km 362.160 (Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore), No.8B[excluding from km. 000.040 to km. 185.000 (Porbandar-Rajkot Section)], No. 8D [excluding from km. 00.000 to Km. 127.000 (Jetpur-Somnath), No. 8E [excluding from Km 7.090 to Km 473.000]	State Government of Gujarat.”

<p>(Bhavnagar-Talaja-Mahuva-Kagavadar-Una-Kodinar-Veraval-Gadu-Porbandar-Dwarka Section), No. 59 [excluding from Km 4.200 to 122.420 (Ahmedabad-Godhra) and from Km 129.300 to Km 215.900 (Godhra-Gujarat/Madhya Pradesh Border), No.113, No. 228, new NH No. 68[excluding samakhyali to Radhanpur section], new NH No. 168, new No. 168A, new NH No. 251, New NH No. 341, New NH No. 351, New NH No. 753B, New NH No. 754K, New NH No. 848, New NH No. 848A, New NH No. 848B, New NH No. 927D, and New NH No. 953 as are situated within the State of Gujarat</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[F. No. NH-14013/3/2015-P&M (Pt.)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide notification No. 5215(E), dated the 11.10.2018.